Regarding need to extend PM Awas Plus Yojana in Cities-laid

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सरकार द्वारा आवासहीनों को पक्के आवास देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है । इसमें देश के करोड़ो आवासहीन लोगों को पक्के आवास मिले है । किंतु आज भी अनेक आवासहीन पात्र हितग्राही पक्के आवास से वंचित छूट रहे है । 2011 की सर्वे सूची में जिनके नाम छूटें है उनके नाम जोड़े जाने के लिए सरकार द्वारा आवास प्लस योजना लागू की गई है । वर्तमान में केवल ग्रामीण क्षेत्र में आवास प्लस योजना लागू है किंतु शहरी क्षेत्र, नगरपालिका, नगर पंचायत आदि में आवास प्लस योजना लागू नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में ही सिवनी एवं बालाघाट जिले शहरी क्षेत्र में आवास प्लस योजना लागू न होने से शहरी क्षेत्र में निवासरत हजारों आवासहीन लोग आवास से वंचित हो रहे है । मैं माननीय मंत्रीजी से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आवास प्लस योजना क्रियान्वित है उसी प्रकार शहरों में आवास प्लस योजना लागू की जाये ताकि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवासहीनों को पक्के आवास मिल सके ।